

- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए द्वीपसमूह के लिए एस्ट्रो टूरिज्म पॉलिसी का मसौदा तैयार किया गया है।
- उद्योग विभाग की ओर से स्थापित औद्योगिक भूमि और भूखंडों के लिए जारी निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- परिष्कृत ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में साइबर अपराध पुलिस थाना ने एक मास्टर माइंड को गिरफ्तार किया है।
- द्वीपसमूह में इस महीने की चौदह तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
- राष्ट्रीय रोइंग चैम्पियनशिप के लिए सात तारीख को सीपीघाट स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण की जलक्रीड़ा परिसर में चयन ट्रायल का आयोजन किया जाएगा।

<><><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए द्वीपसमूह के लिए एस्ट्रो टूरिज्म पॉलिसी का मसौदा तैयार किया गया है। इसके जरिए रणनीतिकारों और स्थानीय समुदाय को लाभ मिलेगा और द्वीपों की प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण भी किया जा सकेगा। इसके अलावा ये मसौदा नीति सतत पर्यटन को बढ़ावा देगा। प्रदूषण को कम करने में सहायक होगा। प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने में मदद मिलेगी और आगंतुकों को सुखद अनुभव होगा। मसौदा नीति को सुझावों, प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक डोमेन में डाला गया है। इस संबंध में सभी नागरिकों, पर्यटन हितधारकों और विभिन्न विभागों से सुझाव प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई है। मसौदा नीति को सूचना, प्रचार और पर्यटन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। कल से पांच अक्टूबर के बीच सुझाव और प्रतिक्रिया भेजे जा सकते हैं।

<><><><><><><><>

उद्योग विभाग की ओर से उद्यमियों को जरूरी सुविधाओं के साथ द्वीपों के विभिन्न भागों में औद्योगिक भूमि व भूखंड उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक एस्टेट की स्थापना की है। विभाग की ओर से अब तक डॉलीगंज, गाराचरमा, मीठाखाड़ी, हटबे, लिटिल अंडमान, बकुलतला और कैम्पबेल बे में औद्योगिक एस्टेट स्थापित किए गए हैं। इन सभी औद्योगिक एस्टेट के लोगो के लिए दिशा-निर्देश को उप-राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए समिति भी बनाई गई है। ये समिति नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामलों की जांच करेगी। दिशा-निर्देश वर्तमान के औद्योगिक इकाइयों पर ही लागू होगी। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई और उन पर लगाए जाने वाले जुर्माने से संबंधित दिशा-निर्देश का विवरण प्रशासन की राज्य पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

<><><><><><><><>

परिष्कृत ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में साइबर अपराध पुलिस थाना ने साइबर अपराधी मास्टर माइंड को गिरफ्तार किया है। यह अपराधी जाली फेस बुक प्रोफाइल बनाकर लोगों को अपनी जाल में फंसाता था। हैडो के एक निवासी ने पहचान चुराने और ऑनलाइन तंग किए जाने के संबंध में साइबर अपराध पुलिस थाना में मामला दर्ज कराया था। थाना प्रभारी साहिल शमसुद्दीन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खोजबीन आरंभ की और सबूतों को इकट्ठा करते हुए साजिशकर्ता की पहचान और स्थान का पता लगाया। उसके खिलाफ जाल बिछाया गया और कल संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना

<><><><><><><>

◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶

◁ ▷ ◁ ▷ ◁ ▷ ◁ ▷ ◁ ▷ ◁ ▷ ◁ ▷

◀ ▶ 🔍 🔄 ⌂

◀ ▶ 🔍 ⌂ 📄 📁 📂 📅 📆 📇 📈 📉 📊 📋 📌 📍 📎 📏 📐 📑 📒 📓 📔 📕 📖 📗 📘 📙 📚 📛 📜 📝 📞 📟 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿

[illegible]

मुख्यभूमि के विभिन्न संस्थानों में द्वीपसमूह के मलयाली मूल के विद्यार्थियों के लिए एम बी बी एस, बी डी एस और बी ए एम एस पाठ्यक्रमों में आरक्षित सीटों के आवंटन के लिए परामर्श रखा गया है। परामर्श बारह सितम्बर को सुबह दस बजे टैगोर कॉलेज के सभागार में लिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों से अपने दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित रहने को कहा गया है।

<><><><><><><><>

जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र दो हजार पच्चीस-छब्बीस में कक्षा छठी में प्रवेश के लिए आवेदन फार्म आमंत्रित किए गए हैं। परीक्षा अट्ठारह जनवरी को संस्थान के सभी केन्द्रों में आयोजित की जाएगी। विवरणिका और आवेदन फॉर्म विद्यालय के वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि सोलह सितम्बर है।

<><><><><><><><>

नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों विभाग की ओर से मापतौल उपकरणों की जांच और मुद्रण के कार्य के लिए मध्योत्तर अंडमान ज़िले के डिगलीपुर में कल से लेकर नौ सितम्बर तक शिविर आयोजित होगा। सभी दुकानदारों, ऑटो रिक्शा मालिकों और ड्राइवरों तथा संबंधित विभागों से इन शिविरों का लाभ उठाकर अपने मापतौल उपकरणों की जांच और मुद्रण कराने को कहा गया है।

<><><><><><><><>

द्वीपसमूह के कई भागों में वर्षा हुई। हटबे में आज सुबह साढ़े आठ बजे तक एक सौ छियासठ दशमलव आठ मिलीमीटर, वायु सेना केन्द्र कार निकोबार में चवालीस दशमलव आठ, पोर्ट ब्लेयर में तैंतालीस, ननकौड़ी में चालीस, कार निकोबार में उनतालीस, मायाबंदर में सत्ताईस दशमलव चार और लांग आइलैंड में सत्रह मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। खराब मौसम को देखते हुए आठ सितम्बर तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है।

<><><><><><><><>